

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9.9.21

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अदकाश/ अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते हैं। पत्रावली दि 14.9.21 को पेश हो

14.9.21

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र न.ग. पर सीबी बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में तार्फे सला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित उचित होता है। अतः प्रार्थना पत्र में दिनांक 24.6.21 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा तार्फे सला वाद पुष्ट की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में लुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूलवाद 47/2018 के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
नैन्वाँ (बुची)

